



कार्यालय-नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण
निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

१०११

पत्रांक- 1636 /12-1 :देहरादून: दिनांक: 27 फरवरी, 2026.

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना 3x4 मेगावाट के निर्माण हेतु 9.397 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु यू०जे०वी०एन० लिमिटेड को प्रत्यावर्तन।

(Online proposal No. : - FP/UK/HYD/42080/2019)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./01/195/2019/एफ.सी./236 दिनांक 18/05/2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./01/195/2019/एफ.सी./236 दिनांक 18/05/2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा का पत्रांक 2270/12-1 दिनांक 09.02.2026 के द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र.	अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। (संलग्नक-1)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 18.794 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम बुंगबुंग सिविल 13.794 हे० खाता संख्या-43, 54 एवं सिदांग सिविल 5.0 हे० खसरा संख्या 4671, 6201, 6216 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। (ख) गैरवानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित स्थल में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों का मिश्रित प्लांटेशन किया जाएगा। (ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वन भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा निर्गत आदेश की प्रति संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न) उपरोक्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का शासन स्तर से संरक्षित वन घोषित होने के उपरान्त नोटिफिकेशन पृथक से प्रेषित किया जायेगा। (ग) वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-2)

	<p>में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।</p> <p>(घ) प्रत्यावित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।</p>	<p>(घ) प्रत्यावित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को कार्य पूर्ण होने उपरान्त ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट रू0 2,36,94,000.00 की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-3)</p>
4	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याषित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल लिए जा सकते हैं।</p>	<p>वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित रू0 76,67,802.00 जमा की गई है। (संलग्नक-4)</p>
5	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य:-</p> <p>(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दि0 05.02.2009 एवं वर्तमान संशोधित दिशानिर्देश सं0 F-3/2011 (vol-1) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 9.397 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> <p>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 1,00,49,810.00 जमा कर दी गई है। (संलग्नक-4 के अनुसार)</p> <p>प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।</p>
6	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 232 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।</p>	<p>वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-5)</p>
7	<p>परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगे।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा धनराशि कैम्पा कोष में की गयी है एवं भविष्य में अतिरिक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया गया है।</p>
8	<p>एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाणपत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया गया है।</p>
9	<p>पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि लागू हो तो पर्यावरणीय स्वीकृति ली जायेगी, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिया गया है।</p>
10	<p>केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि</p>

	ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा, के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया गया है।
11	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है, के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया गया है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया गया है।
13	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Bacward bearings अंकित हों	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया गया है।
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा, के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया गया है।
15	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा, के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया गया है।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी, के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया गया है।
17	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया गया है।
18	परियोजना की लागत से चार फीट ऊंचे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट खंभों को खड़ा करके, वन भूमि की सीमा को मोड़ दिया जायेगा, परियोजना लागत पर जमीन का सीमांकन किया जाएगा, प्रत्येक डीजीपीएस निर्देशांक, आगे और पीछे असर और निकटवर्ती खंभे से दूरी आदि।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना की लागत से चार फीट ऊंचे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट खंभों को खड़ा करके, वन भूमि की सीमा को मोड़ दिया जायेगा, परियोजना लागत पर जमीन का सीमांकन (प्रत्येक डीजीपीएस निर्देशांक, आगे और पीछे असर और निकटवर्ती खंभे से दूरी आदि) किया जाएगा, के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया गया है।
19	प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार एवं मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अनुमोदन हेतु निर्धारित शर्तों पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार एवं मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अनुमोदन हेतु निर्धारित शर्तों पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया गया है।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया जाएगा, के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया गया है।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मंलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है, के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया गया है।

	का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
22	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की गयी है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुपालन आख्या को संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि उपरोक्त के आलोक में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 यथासंगोषित, 2023 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदत्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ एस0पी0 सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :- 1636 /12-1 (दे0दू0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
4. उप महाप्रबंधक (जानपद)/अधिशासी अभियंता, लघु जल विद्युत परियोजनाएँ, जल विद्युत निगम, कैन्ट रोड, जाखनी, पिथौरागढ़।

(डॉ एस0पी0 सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 2270 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 09/02/2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना 3X4 मेगावाट के निर्माण हेतु 9.397 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यू०जे०वी०एन० लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (42080/2019)

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ने अपने पत्रांक- 4598/12-1 दिनांक- 19.01.2026 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

प्रति दिनांक 12/02/26

आपका सेवा

वन संरक्षण निदेशालय
देहरादून
18/02/2026

भवदीय

(चन्द्र शेखर जोशी)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड

देहरादून
पत्रांक सं. 2592
पत्रावली 12-1
दिनांक 19-02-26

21/1/2022
23/1

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक: 4598 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 19 जनवरी, 2026।

सेवा में,

✓ वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना 3x4 मेगावाट के निर्माण हेतु 9.397 हे० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यू०जे०वी०एन० लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./01/195/2019/एफ.सी./236 दिनांक 18/05/2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है-

क्र० सं०	शर्तें	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्तों का अनुपालन किया जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।
3	<p>प्रतिपूरक वनीकरण:-</p> <p>(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 18.794 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम बुंगबुंग सिविल 13.794 हे० खाता संख्या-43, 54 एवं सिदांग सिविल 5.0 हे० खसरा संख्या 4671, 6201, 6216 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।</p> <p>(ख) गैरवानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।</p> <p>(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।</p>	<p>(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित स्थल में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों का मिश्रित प्लांटेशन किया जाएगा।</p> <p>(ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वन भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है तथा जिलाधिकारी महोदय का आदेश संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न) तथा उक्त भूमि को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी पृथक से पत्र उच्च स्तर को प्रेषित किया जा रहा है। संरक्षित वन घोषित होने उपरान्त नोटिफिकेशन पृथक से प्रेषित किया जा रहा है।</p> <p>(ग) प्रमाण पत्र संलग्न</p>

	<p>(घ) प्रत्यावित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।</p>	<p>(घ) प्रत्यावित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को कार्य पूर्ण होने उपरान्त ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।</p>
<p>4</p>	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याषित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल लिए जा सकते हैं।</p>	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित जमा की गई है (रसीद संलग्न)।</p>
<p>5</p>	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य:- (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दि0 05.02.2009 एवं वर्तमान संबोधित दिशानिर्देश सं0 F-3/2011 (vol-1) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 9.397 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है (रसीद संलग्न)। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।</p>
<p>6</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 232 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।</p>
<p>7</p>	<p>परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगे।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।</p>
<p>8</p>	<p>एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाणपत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।</p>
<p>9</p>	<p>पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि लागू हो तो पर्यावरणीय स्वीकृति ली जायेगी।</p>
<p>10</p>	<p>केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।</p>

11	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक षिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।
13	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearings अंकित हों	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
15	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
17	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
18	परियोजना की लागत से चार फीट ऊंचे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट खंभों को खड़ा करके, वन भूमि की सीमा को मोड़ दिया जायेगा, परियोजना लागत पर जमीन का सीमांकन किया जाएगा, प्रत्येक डीजीपीएस निर्देशांक, आगे और पीछे असर और निकटवर्ती खंभे से दूरी आदि।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना की लागत से चार फीट ऊंचे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट खंभों को खड़ा करके, वन भूमि की सीमा को मोड़ दिया जायेगा, परियोजना लागत पर जमीन का सीमांकन (प्रत्येक डीजीपीएस निर्देशांक, आगे और पीछे असर और निकटवर्ती खंभे से दूरी आदि) किया जाएगा।
19	प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार एवं मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अनुमोदन हेतु निर्धारित शर्तों पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार एवं मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अनुमोदन हेतु निर्धारित शर्तों पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया जाएगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

22	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की गयी है।

अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:- /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. उप महाप्रबंधक (जानपद)/अधिशासी अभियंता, लघु जल विद्युत परियोजनाएँ, जल विद्युत निगम, कैन्ट रोड, जाखनी, पिथौरागढ़।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

4598
19 जून 2019

बिंदु संख्या-01

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित (9.397 है0) वन भूमि में प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

Anil Raw
अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

Anil
सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला


Anil
अधिशासी अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड SHP
धारचूला
Pithoragarh.

बिंदु संख्या-02


::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित (9.397 है०) वन भूमि में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपे जाने पर प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।



अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला



सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला



अधिसासी अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला


सू-अर्जन प्रमाणपत्र

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल (क्षमता-4x3000 किलोवाट) लघु जल विद्युत परियोजना (10.236 हैक्टेयर) की स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-338/यूजेवीएनएल/सी0एस0/07/बी0एम0-78 दिनांक 21.04.2016 द्वारा स्वीकृत है। इस परियोजना को यूजेवीएन लिमिटेड, धारचूला द्वारा निर्मित किया जाना है। इस परियोजना के निर्माण में 9.397 हैक्टेयर वन भूमि हेतु नियमानुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नोडल अधिकारी, देहरादून कार्यालय में भेजा जा रहा है, वन भूमि की आवश्यकता को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से 10.236 हैक्टेयर के इस प्रस्ताव में 0.839 हैक्टेयर नाप भूमि ग्राम बुंगबुंग व तांकुल (मांगती) के प्रभावित काश्तकारों से निम्नानुसार लेना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि के सम्बन्धित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेसी को स-समय उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत परियोजना का निर्माण बाधित नहीं होगा।



उपमहसूलदार
उपमहसूलदार (सी0 एवं यॉ0)
यूजेवीएन लिमिटेड, पिथौरागढ़
पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)



जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

सिविल भूमि का कब्जा प्रमाण पत्र

○ भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के स्वीकृति पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./01/195/2019/एफ.सी./236 दिनांक 18.05.2022 के अनुपालन में जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9.397 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुना भूमि 18.794 हे० ग्राम बुंगबुंग पट्टी सिर्खा तहसील धारचूला जिला पिथौरागढ़ गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या - 43 श्रेणी - 9(3)ड. बंजर काबिल आबाद के खेत संख्या 343 म० रकवा 0.359 हे०, 345 रकवा 0.196 हे०, 353 रकवा 0.209 हे०, 356 रकवा 0.314 हे०, 358 रकवा 0.088 हे०, 362 रकवा 0.106 हे०, 368 रकवा 0.050 हे०, 378 रकवा 0.064 हे०, 383 रकवा 0.004 हे०, 387 रकवा 0.028 हे०, 395 रकवा 0.003 हे०, 404 रकवा 0.043 हे०, 406 रकवा 0.045 हे०, 420 रकवा 0.006 हे०, 427 रकवा 0.049 हे०, 432 रकवा 0.023 हे०, 443 रकवा 0.024 हे०, 445 रकवा 0.016 हे०, 451 रकवा 0.041 हे०, 454 रकवा 0.006 हे०, 457 रकवा 0.001 हे०, 521 रकवा 0.065 हे०, 523 रकवा 0.041 हे०, 540 रकवा 0.028 हे०, 551 रकवा 0.010 हे०, 557 रकवा 0.021 हे०, 564 रकवा 0.021 हे०, 573 रकवा 0.056 हे०, 582 रकवा 0.081 हे०, 586 रकवा 0.011 हे०, 588 रकवा 0.211 हे०, 598 रकवा 0.099 हे०, 601 रकवा 0.089 हे०, 608 रकवा 0.073 हे०, 610 रकवा 0.025 हे०, 617 रकवा 0.043 हे०, 620 रकवा 0.010 हे०, 623 रकवा 0.141 हे०, 629 रकवा 0.006 हे०, 635 रकवा 0.292 हे०, 643 रकवा 0.053 हे०, 647 रकवा 0.118 हे०, 653 रकवा 0.024 हे०, 656 रकवा 0.038 हे०, 664 रकवा 0.257 हे०, 666 रकवा 0.317 हे०, 668 रकवा 0.316 हे०, 676 रकवा 0.146 हे०, 754 रकवा 0.309 हे०, 799 रकवा 0.023 हे०, 802 रकवा 0.016 हे०, 843 रकवा 0.003 हे०, 891 रकवा 0.365 हे०, 899 रकवा 0.010 हे०, 988 रकवा 0.084 हे०, 928 रकवा 0.165 हे०, 929 रकवा 0.006 हे०, 1024 रकवा 0.004 हे०, 1193 रकवा 0.115 हे०, 1210 रकवा 0.004 हे०, 1231 रकवा 0.009 हे०, 1264 रकवा 0.016 हे०, 1287 रकवा 0.035 हे०, 1295 रकवा 0.066 हे०, 1313 रकवा 0.010 हे०, 1335 रकवा 0.108 हे०, 1336 रकवा 0.040 हे०, 1450 रकवा 0.021 हे०, 1452 रकवा 0.143 हे०, 1457 रकवा 0.013 हे०, 1505 रकवा 0.038 हे०, 1520 रकवा 0.016 हे०, 1522 रकवा 0.011 हे०, 1549 रकवा 0.035 हे०, 1558 रकवा 0.079 हे०, 1610 रकवा 0.030 हे०, 1613 रकवा 0.018 हे०, 1615 रकवा 0.018 हे०, 1640 रकवा 0.043 हे०, 1715 रकवा 0.018 हे०, 1840 रकवा 0.695 हे०, 1850 रकवा 0.046 हे०, 1858 रकवा 0.055 हे०, 1860 रकवा 0.058 हे०, 1897 रकवा 0.019 हे०, 1902 रकवा 0.015 हे०, 1931 रकवा 0.095 हे०, 1944 रकवा 0.075 हे०, 1948 रकवा 0.023 हे०, 1952 रकवा 0.029 हे०, 1953 रकवा 0.088 हे०, 1956 रकवा 0.056 हे०, 1961 रकवा 0.175 हे०, 1962 रकवा 0.191 हे०, 1971 रकवा 0.189 हे०, 2013 रकवा 0.026 हे०, 2093 रकवा 0.009 हे०, 2097 रकवा 0.251 हे०, 2104 रकवा 0.249 हे०, 2106 रकवा 0.030 हे०, 2108 रकवा 0.035 हे०, 2116 रकवा 0.018 हे०, 2161 रकवा 0.179 हे०, 2173 रकवा 0.018 हे०, 2299 रकवा 0.008 हे०, 2201 रकवा 0.168 हे०, 2203 रकवा 0.148 हे०, 2207 रकवा 0.035 हे०, 2246 रकवा 0.304 हे०, 2248 रकवा 0.083 हे०, 2253 रकवा 0.015 हे०, 2294 रकवा 0.599 हे०, 2318 रकवा 0.038 हे०, 2385 रकवा 0.005 हे०, 2389 रकवा 0.028 हे०, 2406 रकवा 0.025 हे०, 2422 रकवा 0.021 हे०, 2431 रकवा 0.090 हे०, 2458 रकवा 0.026 हे०, 2513 रकवा 0.096 हे०, 2515 रकवा 0.071 हे०, 2560 रकवा 0.377 हे०, 2561 रकवा 0.324 हे०, 2570 रकवा 0.065 हे०, 2583 रकवा 0.049 हे०, 2641 रकवा 0.202 हे०, 2711 रकवा 0.050 हे०, 2727 रकवा 0.103 हे०, 2746 रकवा 0.014 हे०, 2763 रकवा 0.055 हे०, 2774 रकवा 0.256 हे०, 14/2855 रकवा 0.337 कुल 132 खेतों की 12.354 हे०, ग्राम बुंगबुंग पट्टी सिर्खा तहसील धारचूला जिला पिथौरागढ़ गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-54 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के खेत नम्बर 416 म० रकवा 1.003, 752 रकवा 0.063 हे०, 769 रकवा 0.319 हे०, 1016 रकवा 0.055 हे० कुल 04 खेत रकवा 1440 हे० एवं ग्राम सिर्दांग पट्टी सिर्खा तहसील धारचूला जिला पिथौरागढ़ के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-121 श्रेणी-9(3)ड बंजर. काबिल आबाद के खेत नम्बर 4671 रकवा 2.567 हे०, 6201 रकवा 1.108 हे०, 6216 म० रकवा 1.325 हे०, कुल 03 खेत रकवा 5.000 हे०, इस प्रकार कुल 02 ग्रामों के 03 खातों की 139 खेतों की 18.794 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिस कम में राजस्व उपनिरीक्षक सिर्खा द्वारा उक्त भूमि का अमलदरामद वन विभाग के नाम कर दिया गया है। उक्त भूमि वन विभाग के द्वारा अपने कब्जे में ले ली गयी है यह भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वन विभाग
धारचूला

(हस्ताक्षर)
12/05/2022

वन अधिकारी
पिथौरागढ़
पिथौरागढ़

दि० संख्या- 03 (ग)

::शब्द पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 हे० वन्सूचि का पैरवानीकी कार्यो हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/JK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु चयनित सी०ए० क्षेत्र (18.794 हे०) में पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी
धारचूला

प्रभास वन अधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-03-2024

Agency Name.	UJVN LIMITED (A GOVT. OF UTTARAKHAND ENTERPRISE)
Application No.	5642080440
MoEF/SG File No.	8B/UCP/01/195/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Dy General Manager (E&M - SHP), UJVN Ltd, Cantt Road, Jakhani Pithoragarh. Pithoragarh
Amount(in Rs)	17717612/-

Amount in Words One Crore Seventy-Seven Lakh Seventeen Thousand Six Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150895642080440 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-03-2024

Agency Name.	UJVN LIMITED (A GOVT. OF UTTARAKHAND ENTERPRISE)
Application No.	5642080440
MoEF/SG File No.	8B/UCP/01/195/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Dy General Manager (E&M - SHP), UJVN Ltd, Cantt Road, Jakhani Pithoragarh. Pithoragarh
Amount(in Rs)	17717612/-

Amount in Words One Crore Seventy-Seven Lakh Seventeen Thousand Six Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150895642080440 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

(MPU+CA)

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Entered in MB NO. 89CL Page NO 108.

[Signature]
AECU

[Signature]
JECU
EECU

Pay for Rs 17717612/-
By Cheque Rs 17717612/-
By Adj Rs

[Signature] D/Asst Accountant (Pithoragarh)
[Signature] AO
[Signature] BGM

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964-226234

पत्रांक- 8195 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 16 जून, 2022।

सेवा में,

अविशासी अभियन्ता,

यू०जे०वि०एन० लिमिटेड, पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकूल (क्षमता-43000 किलोवाट) लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु यू०जे०वि०एन० लि० को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक 8वीं/यू०सी०पी०/01/195/2019/एफ०सी०/236 दिनांक 18.05.2022 व ऊपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून का पत्रांक 2838 दिनांक 26.05.2022।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार के आदेशानुसार सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिसूचित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें एवं उक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु सं० 04 व 05 के क्रम में उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	विवरण	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	9.397 हे०	1069470.00 /- (ईको क्लास-VI) घनत्व 0.2	10049809.59 /-
2	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण	18.794 हे०	407992.00 /-	7667801.65 /-
योग				17717611.24 या 17717611.00



कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Tankul file

OK

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

AGENCY COPY



Union Bank
 of India
 JAKHANI
 PITHORAGARH

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-11-2025

Agency Name.	UJVN LIMITED (A GOVT. OF UTTARAKHAND ENTERPRISE)
Application No.	5642080683
MoEF/SG File No.	8B/UCP/01/195/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Dy General Manager (E&M - SHP), UJVN Ltd, Cantt Road, Jakhani Pithoragarh.
Amount(in Rs)	23694000/-



Amount in Words : Two Crore Thirty-Six Lakh Ninety-Four Thousand Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150895642080683 Valid only for this challan amount
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



Union Bank
 of India
 JAKHANI
 PITHORAGARH

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-11-2025

Agency Name.	UJVN LIMITED (A GOVT. OF UTTARAKHAND ENTERPRISE)
Application No.	5642080683
MoEF/SG File No.	8B/UCP/01/195/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Dy General Manager (E&M - SHP), UJVN Ltd, Cantt Road, Jakhani Pithoragarh.
Amount(in Rs)	23694000/-

Amount in Words : Two Crore Thirty-Six Lakh Ninety-Four Thousand Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150895642080683 Valid only for this challan amount
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Entered in MB No- 01(L) Page No- (189) -
(Signature)
 JCS

Pay for Rs. 23694000/-
 By Cheque Rs. 23694000/-
 By A/c Rs. Nil

D/Asst Accountant S/O DGM
 (Pithoragarh)

REC


EEU

बिंदु संख्या- 05 (ख)

::शपथ पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित (9.397 है०) वन भूमि में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा।



अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला



सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला



अधिशासी अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

बिंदु संख्या-6

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित (9.397 है०) वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 232 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा करा दी जायेगी।

अवर

अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

मिस्ट

सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

अधीशासी

अधीशासी अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला
H.P.

बिंदु संख्या-07

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित (9.397 है०) वन भूमि में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/ जमा करा दिया गया है।

Amit

अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

Amit

सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

Amit

अधिशासी अभियन्ता
Ex. Engr (Civil) SEIT
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

बिंदु संख्या-08

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित (9.397 है०) वन भूमि में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ०आर०ए०, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाणपत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

A. K. Singh

अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

A. K. Singh

सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

A. K. Singh

अधिशारी अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड (SHP)
धारचूला
P. 42080/2019

बिंदु संख्या-10

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन. (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

Stiff

अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

A

सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

Ref

अधिसासी अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड) SHP
UJVNL, Dharchula
धारचूला
P 650822019

बिंदु संख्या-11

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

Arvind Kaur

अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

Arvind Kaur

सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

Arvind Kaur


अधिशारी अभियन्ता
(यूजेवीएन लिमिटेड) SFP
धारचूला, पिथौरागढ़

बिंदु संख्या-12


::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा ।



अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला



सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला




अधिशाली अभियन्ता
(यूजेवीएन लिमिटेड) S.H.P.
धारचूला Dharachula
Pithoragarh.


बिंदु संख्या-13


::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित की जाएंगी।


अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला


सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला


अधिशासी अभियन्ता
E.यूजेवीएन लिमिटेड) SHP
धारचूला
Pithoragarh

बिंदु संख्या-14

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

Agri/Secy

अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

Asst

सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

Ref

अधिशासी अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड) SHP
C) धारचूला Distt. Pithoragarh
Pithoragarh, U.P.


○

बिंदु संख्या-15


::प्रमाण पत्र::


परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकूल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकूल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।



अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला


सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला


अधिसासी अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

बिंदु संख्या-16


::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।



अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला



सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला




अधिसूची अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

बिंदु संख्या-17

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में प्रस्तावक विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।



अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला



सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला



अधिशारी अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड (i) SHP
धारचूला, पिथौरागढ़
Uttarakhand

○

बिंदु संख्या-18

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना की लागत से चार फीट ऊंचे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट खंभों को खड़ा करके, वन भूमि की सीमा को मोड़ दिया जायेगा, परियोजना लागत पर जमीन का सीमांकन किया जाएगा, प्रत्येक डीजीपीएस निर्देशांक, आगे और पीछे असर और निकटवर्ती खंभे से दूरी आदि का उल्लेख किया जायेगा।

Anil Kumar
अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

Dr. J. K. Singh
सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

Dr. J. K. Singh
अधिशिखी, अधिसूचना: SFP
यूजेवीएन लिमिटेड, Dehra
धारचूला, 247103

बिंदु संख्या-19

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरव्यावसायिक कार्य हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार एवं मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अनुमोदन हेतु निर्धारित शर्तों पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

Arul Kumar

अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

Arul Kumar

सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

Arul Kumar


अधिसासी अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड (वि.प्र.) SHF
GIVNL, Dharchula
धारचूला


बिंदु संख्या-20


::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में प्रस्तावक विभाग द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तों का पालन किया जायेगा।


अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला


सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला.



अधिसासी अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला


बिंदु संख्या-21


::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल का प्राविधान किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।


अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला


सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला


अधिसासी अभियन्ता
E. यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

बिंदु संख्या-22

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है० वनभूमि का गैरव्यावसायिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा एवं उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।

Anil Kumar

अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

[Signature]

सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

[Signature]

अधिसारी अभियन्ता
(यूजेवीएन लिमिटेड) SHP
धारचूला Dist. Dehra Dun
U.P.

बिंदु संख्या-23

::प्रमाण पत्र::

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन (FP/UK/HYD/42080/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल ([https://parivesh-nic-in:](https://parivesh-nic-in)) पर अपलोड की गई है।

Anil Kumar
अवर अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

[Signature]
सहायक अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड
धारचूला

[Signature]
अधिसासी अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड (I) SHF
धारचूला
Pithoragarh

गैर जमीन खतौनी नकल

ग्राम-सिर्दाग पंटी-सिर्खा, तहसील-धारचूला, जिला पिथौरागढ़,

श्रेणी-9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि

खाता सं०	नाम खातेदार	जोत का वर्ष	खसरा नं०	क्षेत्रफल हे० में	लगान	विवरण
121	बंजर काबिल आबाद		4 19 40 44 क्रमशः 4671 4686 4693 4700 क्रमशः 6194 6201 6202 6215 6216 6230 6232 क्रमशः 7405 7414 7433 7437 7466 7475	0.396 0.316 0.043 0.020 क्रमशः 2.567 0.125 0.029 0.008 क्रमशः 0.011 1.108 0.078 0.896 2.069 0.045 0.068 क्रमशः 0.046 0.026 0.040 0.030 0.028 0.039		भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के स्वीकृति पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./01/195/2019/एफ.सी./230 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9.397 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 18.794 हे. सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9.397 हे. वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सिर्दाग पंटी सिर्खा तहसील धारचूला जिला पिथौरागढ़ के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-12 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आबाद के खेत नम्बर 4671 रकवा 2.567 हे., 6201 रकवा 1.108 हे. 6216 न. रकवा 1.325 हे., कुल 03 खेत रकवा 5.000 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण किया।
		योग				

महोदय,

खतौनी नकल असल से तैयार किया।

राजस्व उपनिरीक्षक सिर्खा

तहसील धारचूला

११/१२१५

गैर जमीन विखतौनी नकल
 ग्राम-बुंगबुंग, पट्टी-सिखा, तहसील-धारचूला, जिला पिथौरागढ़,
 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आबाद

खाता सं०	नाम खातेदार	जोत का वर्ष	खसरा नं०	क्षेत्रफल हे० में	लगान	विवरण
54	बंजर नाकाबिल आबाद		42	0.001		भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के स्वीकृति पत्र संख्या-8बी/यूसी.पी./01/195/2019/एफ.सी./230 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9.397 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 18.794 हे. सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9.397 हे. वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बुंगबुंग पट्टी सिखा तहसील धारचूला जिला पिथौरागढ़ के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-54 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के खेत नम्बर 416 रकवा 1.003, 752 रकवा 0.063 हे. 769 म. रकवा 0.319 हे., 1016 रकवा 0.05 हे. कुल 04 खेत रकवा 1.440 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण किया।
			85	0.598		
			152	0.355		
			186	0.250		
			क्रमशः	क्रमशः		
			414	0.119		
			416	1.007		
			459	0.001		
			क्रमशः	क्रमशः		
			752	0.063		
			760	0.015		
			769	0.319		
			792	0.823		
			796	0.538		
			820	0.204		
			822	0.898		
			895	0.335		
			932	1.272		
			1016	0.055		
			क्रमशः	क्रमशः		
			2705	0.056		
			2730	0.023		
			2737	0.088		
			2854	0.040		
		योग	106	41.128		

महोदय,

खतौनी नकल असल से तैयार किया।

राजस्व उपनिरीक्षक सिखा

तहसील धारचूला

27/10/25

27/10/25



गैर जमीन खतौनी नकल

ग्राम-बुंगबुंग, पट्टी-सिखा, तहसील-धारचूला, जिला पिथौरागढ़,
श्रेणी-9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि

खाता सं०	नाम खातेदार	जोत का वर्ष	खसरा नं०	क्षेत्रफल हे० में	लगान	विवरण
43	बंजर काबिल आबाद		2 3 4 5 15 19 21 24 कमरा: 2431 2458 2513 2515 2560 2561 2570 2583 2641 2711 2727 2746 2763 14/285 5	0.065 0.056 0.043 0.108 0.218 0.191 0.040 0.059 कमरा: 0.091 0.026 0.096 0.071 0.377 0.324 0.065 0.049 0.202 0.050 0.103 0.014 0.055 0.337		भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के स्वीकृति पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./01/195/2019/एफ.सी./230 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9.397 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 18.794 हे. सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9.397 हे. वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बुंगबुंग पट्टी सिखा तहसील धारचूला जिला पिथौरागढ़ के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-4C श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आबाद के कुल 132 खेतों की 12.354 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण किया।
		योग	182	19.422		

महोदय,

खतौनी नकल असल से तैयार किया।

राजस्व उपनिरीक्षक सिखा

तहसील धारचूला

उपनिरीक्षक
धारचूला

धारचूला

29/10/25


आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तहसील के स्वीकृति पत्र संख्या 8वीं 'बूरी' सी / 01 / 195 / 2019 / एफ सी / 230 दिनांक 18/05/2022 के द्वारा जन्मद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित ताकूल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9397 हे० वन भूमि को बदले क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु 18/04/2022 में वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर का भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड सरकार के शरानदेश संख्या-2173/XVI(III)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17/12/2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जन्मद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित ताकूल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9397 हे० वन भूमि को बदले क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु ग्राम युगकुंग पट्टी सिखां तहसील धारचूला के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-43 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के कुल 132 खेतों की 12,354 हे० (संलग्न खसरे अनुसार) तथा खाता संख्या-54, श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आवाद, के खेत नम्बर 416 म० रकबा 1,003 हे०, 752 रकबा 0,063 हे०, 769 रकबा 0,319 हे०, 1016 रकबा 0,055 कुल 04 खेत रकबा 1,440 हे० एवं ग्राम सिद्धीग पट्टी सिखां तहसील धारचूला के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-121 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 4671 रकबा 2,567 हे०, 6201 रकबा 1,108 हे० 5216 म० रकबा 1,325 हे० कुल 03 खेत रकबा 5,000 हे०, इस प्रकार कुल 02 ग्रामों के 03 खातों की 139 खेतों की 18,794 हे० सिंचित भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, धारचूला स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक सितम्बर, 28, 2024



(विनोद गोस्वामी)
8. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या-2087 / सात- 34 / 2023-24

दिनांक सितम्बर, 30, 2024

1. प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
i. प्रनागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी धारचूला।
4. तहसीलदार धारचूला को प्रशंगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण करते हुये अनुपालन आख्या से अवगत कर, सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियंता, लघु जल विद्युत परियोजना धारचूला, पिथौरागढ़।


(विनोद गोस्वामी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
8. 4. 2024

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहशदून के स्वीकृति पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./01/195/2019/एफ.सी./236 दिनांक 18.06.2022 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9.397 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 18794 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 9.397 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम गुंगवुग पट्टी सिर्खा तहसील धारचूला के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-43 श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के कुल 132 खेतों की 12.354 हे० (संलग्न खसरे अनुसार) तथा खाता संख्या-54, श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आवाद, के खेत नम्बर 416 म० रकवा 1.003 हे०, 752 रकवा 0.063 हे०, 769 रकवा 0.319 हे०, 1016 रकवा 0.055 कुल 04 खेत रकवा 1.440 हे० एवं ग्राम सिर्दांग पट्टी सिर्खा तहसील धारचूला के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-121 श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 4671 रकवा 2.567 हे०, 6201 रकवा 1.108 हे०, 6216 म० रकवा 1.325 हे० कुल 03 खेत रकवा 5.000 हे०, इस प्रकार कुल 02 ग्रामों के 03 खातों की 139 खेतों की 18.794 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, धारचूला स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक सितम्बर 28, 2024

(विनोद गोस्वामी)

Be जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या-2087 /सात- 34 /2023-24

दिनांक सितम्बर 30, 2024

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
 2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
 3. उप जिलाधिकारी धारचूला।
 4. तहसीलदार धारचूला को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण करते हुये अनुपालन आख्या से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
 5. अधिशासी अभियन्ता, लघु जल विद्युत परियोजना धारचूला, पिथौरागढ़।

(विनोद गोस्वामी)

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

Be 4/9/24

12/09/2024

कार्यालय तहसीलदार, धारचूला।

संख्या: 1368 / 20का0 / क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, 2024 दिनांक 11-09-2024

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
धारचूला।

विषय ताकुल लघु जल विद्युत परियोजना के प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 18794 हे० राज्य भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक कृपया अपर जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्र संख्या 1957/सात-क्षति.पू./2023-24 दिनांक अगस्त 08, 2024 में महादय के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 13.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा ताकुल लघु जल विद्युत परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (ग्राम बुगबुग - 13794 हे० ग्राम सिदांग - 5000 हे०) कुल 18794 हे० भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण चयनित खसरा क्षेत्रफल सहित उल्लेख कर आख्या / सस्तुति सहित पत्रावल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रकरण में निर्देशानुसार राजस्व उपनिरीक्षक सिखां को पुनः आख्या / प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। राजस्व उपनिरीक्षक सिखां की आख्यानुसार प्रस्तावित ताकुल जल विद्युत परियोजना के प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बुगबुग के गैर ज० वि० खतौनी खाता सं० 43 श्रेणी 9(3) ड बंजर काबिल आबाद में 17560 हे० एवं गैर ज० वि० खतौनी खाता सं० 54 श्रेणी 10(4) ब० ना० आ० में 1440 हे० कुल 1900 हे० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई थी। प्रस्तावित भूमि में 5000 हे० भूमि एम० डी० एफ० क्षेत्र आन के अन्तर्गत बुगबुग के गैर ज० वि० खतौनी खाता सं० 43 श्रेणी 9(3) ड बंजर काबिल आबाद में 12354 खाता सं० 54 श्रेणी 10 (4) बंजर नाकाबिल आबाद में 1440 हे० को प्रस्तावित किया गया एवं ग्राम-सिदांग के गैर ज० वि० खतौनी खाता सं० 121 श्रेणी 9(3) ड बंजर काबिल आबाद में 5000 हे० भूमि कुल 18794 हे० भूमि का ध्यान किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

ख०खा०सं०	श्रेणी	खेत संख्या	क्षेत्रफल (हे०)
43	9(3) ड बंजर काबिल आबाद	343 भ०	0.359
		345	0.196
	ग्राम - बुगबुग, चट्टी- सिखां	353	0.209
		356	0.312


12/09

1



358	0 088
362	0 106
368	0 050
378	0 004
383	0 004
387	0 028
395	0 003
404	0 04
406	0 045
420	0 006
427	0 049
432	0 025
443	0 024
445	0 016
451	0 041
454	0 006
457	0 001
521	0 065
523	0 041
540	0 028
551	0 010
557	0 021
564	0 021
573	0 056
582	0 081
586	0 011
588	0 211
598	0 099
601	0 089
606	0 072
610	0 025
617	0 043
620	0 010
623	0 141
629	0 006
635	0 292
643	0 053
647	0 118
653	0 024
656	0 030

h

h
h
h

664	0.257
666	0.317
668	0.315
676	0.146
754	0.309
799	0.023
802	0.016
843	0.003
891	0.365
899	0.010
988	0.084
928	0.165
929	0.006
1024	0.004
1193	0.115
1210	0.004
1231	0.009
1264	0.016
1267	0.035
1295	0.068
1313	0.010
1335	0.098
1336	0.040
1450	0.021
1452	0.143
1457	0.013
1505	0.038
1520	0.016
1522	0.011
1549	0.035
1558	0.079
1610	0.030
1613	0.018
1615	0.012
1640	0.043
1715	0.013
1840	0.695
1850	0.046
1858	0.055
1860	0.056

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

1897	0 019
1902	0 015
1931	0 095
1944	0 075
1948	0 023
1952	0 029
1953	0 088
1956	0 056
1961	0 175
1962	0 191
1971	0 189
2013	0 026
2093	0 009
2097	0.251
2104	0 249
2106	0 030
2108	0 035
2116	0 018
2161	0 179
2173	0 018
2299	0 008
2201	0 168
2203	0 148
2207	0 035
2246	0 304
2248	0 083
2253	0 015
2294	0 599
2318	0 038
2365	0 005
2389	0 025
2406	0 025
2422	0 021
2431	0 090
2458	0 026
2513	0 096
2515	0 071
2560	0 377
2561	0 324
2570	0 365

148

10
Apr

		2583	0.049
		2641	0.202
		2711	0.050
		2727	0.103
		2746	0.014
		2763	0.055
		2774	0.256
	योग	14 / 2855	0.337
		132	12.354
54	10 (4) बंजर नाकाविल आवाद	416 म०	1.003
	ग्राम - बुंगबुंग, पट्टी- सिखा	752	0.063
		769	0.319
		1016	0.055
	योग	4	1.440
121	9 (3) ड. बंजर काविल आवाद	4671	2.567
	ग्राम - सिदांग, पट्टी- सिखा	6201	1.106
		6216 म०	1.325
	योग	3	5.000
	कुल सम्पूर्ण योग	139	18.794

प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा, खतौनी नकल संलग्न हैं, प्रस्तावित क्षेत्र में कोई धार्मिक, ऐतिहासिक अथवा ऐसे कोई सामाजिक स्थल प्रभावित नहीं होते हैं।

अतः प्रस्तावित भूमि के नक्शा खसरा खतौनी नकल सहित मूल मन्तव्य पर प्रस्ताव वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने की सस्ती सहित आरक्षक नहादक की सेवा में प्रेषित है।

संलग्न- उक्तानुसार

W
12/4

भवदीय,

Am
तहसील अधिकारी
धारचूलक